

अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला-उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S
मुकदमा नम्बर : 220/21 (वाद)
जीसीएमएस : 2021/622

उनवान

1. श्री कैलाश पिता बाबुलाल भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तह. मावली।

.....वादी

बनाम

1. श्री पोखर पिता धर्मा भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तह. मावली।
2. श्री वरदा पिता धर्मा भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तह. मावली।
3. श्रीमती वाली पत्नी धर्मा भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तह. मावली।
4. पटवारी, पटवार हल्का गुडली तह. मावली।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता उभय पक्षकारान की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 28.11.2024 को रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि मौजा तुलसीदास जी की सराय पटवार हल्का गुडली हाल तुलसीदास जी की सराय तह. मावली की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2077-80 के खाता सं. 266 पर दर्ज आराजीयात का बंटवाडा निम्नानुसार अन्तिम किया जाता है :-

क्र सं.	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	कैलाश पिता बाबुलाल भील सा. देह खातेदार हिस्सा सम्पूर्ण	457/1	0.0202	बा.द्वि.	3.50
	योग	किता 1	0.0202	—	3.50
2	पोखर पिता धर्मा 1/3 भील सा. देह, वरदा पिता धर्मा 1/3 भील सा. देह, श्रीमती वाली पत्नी धर्मा 1/3 भील सा. देह खातेदार	457 मी.	0.0607	बा.द्वि.	10.50
	योग	किता 1	0.0607	—	10.50
	कुल योग	किता 2	0.0809	—	14

नोट-उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यह आज तारीख 28.11.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

